किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट 10.04.2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
10.04.18	वादी पालसिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह जाति जटसिख निवासी 31 पी एस तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री प्यारे लाल कच्छावा अधिवक्ता ने वाद पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया। जो दर्ज दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16.05.2018 को पेश हो। उपजिला कलेक्टर रायसिंहनगर	
9.6.18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 30 PSA व बिशनपुरा के (मनोहरी देवी) अटलसेवा केन्द्र बिशनपुरा में पेश हुई। प्रार्थी (वादी) उपस्थित आया। प्रार्थी पालसिंह को सुना गया। हल्का पटवारी से जानकारी ली गई। आदेश को पढ़कर मौका-ए-आम में सुनाया गया। मौका-ए-आम में उपस्थित ग्रामीण निवासीगण व पक्षकारान से किसी भी प्रकार आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। उक्त प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रक्रमांक TRA/18/835 दिनांक 31-5-18 के द्वारा अवगत करवाया कि आवेदक श्री पालसिंह s/o विक्रम सिंह मौजा जयसिंहवाला-31PS के मु०नं० 82 की 10-14 बीघा नहरी व 5-12 बीघा बारानी कुल 15-16 बीघा की सनद प्राप्तकर्ता श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्री गंगानगर के द्वारा दिनांक 28/3/85 सनद सं 2591 जारी की गई। श्रीमान उपजिला कलेक्टर महोदय रायसिंहनगर के आदेशानुसार आदेश क्रमांक 96/1245 दिनांक 12/8/96 के किला नं-1 से 11-20 के द्वारा मु०नं० 82 नया 78 के कि नं० 21 में 22-23-24-25 में दो से बीघा (श्रीमती मनोहरी देवी) सरपंच ग्रा.पं. 30 P.S.(A) बिशनपुरा पं.स. रायसिंहनगर	पाल सिंह [signature] 08-06-18

PTO

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट .... बिशनपुरा
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

0-01 बीघा, 0-02 बीघा रास्ते के कट जाने के कारण
वर्तमान जमाबन्दी मे 0-03 बीघा रकबा कम है। उक्त
स० 25917 मे 15-16 बीघा बारानी। नहरी की
दुरुस्त का कुल 15-13 बीघा की सनद उक्त की
अभिलेखों की है

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन
से पाया गया कि आवंटी पाल सिंह पु० विक्रम
सिंह को चक 31PS के मु०न० 82 के 10-04 बीघा
नहरी व 5-12 बीघा बारानी कुल 15-16 बीघा भूमि
आवंटन है जिसकी सनद न० 25917 दि० 28/3/85 को
जारी की गई। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी
रिपोर्ट दि० 31-5-18 के द्वारा कि०न० 24-25 मे
क्रमशः 0-01 बीघा 0-02 बीघा रास्ते मे कट जाने के
कारण जमाबन्दी मे 0-03 बीघा कम हो चुका है। ऐसी
स्थिति मे जमाबन्दी का [illegible] संशोधन किया जाना
न्यायोचित प्रतीत होता है

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार
रायसिंहनगर की रिपोर्ट दि० 31-5-18 के अनुसार
चक 31PS के मु०न० 82 के [illegible] कि०न०
24-25 मे क्रमशः 0-01 बीघा, 0-02 बीघा कुल
0-03 बीघा बारानी का रकबा कम करते हुए
आवंटी पालसिंह पु० श्री विक्रम सिंह के नाम
जारी सनद स-25917 दि० 28/3/85 के अनुसार
खातेदारी का इन्द्राज करें। इसी अनुसार
राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। इसी
आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली
फैसल होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय मखना-ए-अदालत सुनाया गया।

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट .... [illegible]
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) [illegible]